

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक : 28/06/2006

विषय:- ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय का संचालन निबंधित ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। शपथ पत्र में यह सूचना दी गयी है कि ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है। संस्था के सदस्यों की सूची भी दी गयी है और यह दर्शाया गया है कि उनके बीच आपसी संबंध नहीं है। इनके द्वारा जो सूचना दी गई है उससे स्पष्ट नहीं होता कि इस विद्यालय के प्रबंधन में एक परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सदस्यों के पेशा का भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। विभागीय अधिसूचना के अनुसार न्यास के सदस्यों के पेशा की सही सही जानकारी आवश्यक है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी का उपयोग तथा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है। यद्यपि इनके द्वारा ऑक्सफोर्ड नाम का उपयोग किया गया है, परन्तु इससे ऑक्सफोर्ड से सम्बद्ध होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। इन्हे नाम बदलने के लिए यथाआवश्यक समय दिया जा सकता है।
3. विद्यालय के द्वारा 80960 वर्गफीट भूमि 30 वर्षों के लीज पर लिया गया है। उसी भूमि पर विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निरीक्षण दल को विद्यालय का स्थल निरीक्षण कर विद्यालय के द्वारा दी गयी सूचना को सम्पुष्ट कर लेना होगा।
4. विद्यालय में 25 शिक्षक हैं, जिनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने प्रशिक्षित हैं। आवेदन में कहा गया है कि शिक्षकों की योग्यता N.C.T.E के norms के अनुरूप है। लेकिन विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से यह कथन विरोधाभासी हो जाता है। शिक्षकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार के शुल्क, वार्षिक लेखा, अंकेखण आदि प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक करने की सहमति दी गयी है।
7. विद्यालय के द्वारा अपने नाम में ऑक्सफोर्ड शब्द का उपयोग किया गया है जिससे भ्रम उत्पन्न होगा कि विद्यालय विदेशी संस्था के द्वारा संचालित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 3007/2005 अशोक कुमार बनाम भारत सरकार ने न्याय निर्णय का अनुपालन बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा। (न्याय निर्णय का प्रति संलग्न)

8. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे द्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपये प्रतिवर्ष होंगे ।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

9. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

10. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा ।

11. बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय के नाम से ऑक्सफोर्ड शब्द को हटा लें एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायदेश संख्या 3007/2005 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

12. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

13. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं वर्णित शर्तों के आधार पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर को अनापत्ति दी जाती है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(शिव प्रसाद)

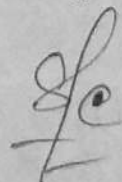
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक -

436

पटना, दिनांक:- 28.6.06

प्रतिलिपि - प्राचार्य, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



(शिव प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग